संस्थागत वित्त संचालनालय
मध्यप्रदेश

Website: www.dif.mp.gov.in

राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ
विन्ध्याचल भवन, "ग" खण्ड,
प्रथम तल, भोपाल - 462004

☎ - (0755) 2551199, 2552003
फैक्स - (0755) 2551387
ई-मेल : difbho@mp.gov.in

क्रमांक ब्रिस्क/2008-09/संविसं/757
भोपाल दिनांक 13 अप्रैल 2009

प्रति

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश
2. अग्रणी ज़िला प्रबंधक (समस्त), मध्यप्रदेश

विषयः- **बिस्क योजना वर्ष 2008-09 हेतु निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध वसूली की जानकारी का प्रदाय**

सन्दर्भः- **इस संचालनालय के परिपत्र क्रमांक (1) 1939 दिनांक 19.09.2008, (2) 1941 दिनांक 19.09.2008, (3) 1943 दिनांक 19.09.2008 एवं (4) 65 दिनांक 09.01.2009 एवं समय-समय पर जारी ई-मेल**

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान अर्जित वसूली की जानकारी समयावधि में भेजने हेतु जारी निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख था कि निर्धारित मापदण्डों/प्रतिबन्धों में से किसी भी एक मापदण्ड में चूक करने पर ज़िले का नाम प्रोत्साहित दिये जाने वाली सूची से पृथक कर दिया जायेगा एवं ज़िले के अधिकारी (यथा कलेक्टर एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक) को शील्ड, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रोत्साहिकी प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। सुलभ सन्दर्भ हेतु निर्धारित मापदण्ड/प्रतिबन्ध पुनः उल्लेखित हैं:-

1. दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 31.03.2009 तक की अवधि में आवंटित लक्ष्य के विरूद्ध अर्जित वसूली की जानकारी मुख्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि दिनांक **15 मई 2009**;
2. निम्न जानकारी मुख्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक **31 मई 2009:**
   - दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 31.03.2009 तक राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ को देय राज्यांश राशि (कुल वसूली का 0.5 प्रतिशत) का भुगतान;
   - आलोच्य वर्ष के दौरान जिलों में अर्जित वसूली की बैंक-वार एवं राजस्व अधिकारी-वार वसूली की जानकारी;

- एक प्रतिशत राशि की दर से पात्र राजस्व अधिकारियों को वितरित प्रोत्साहन राशि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र मय पूर्ण विवरण;
- आलोच्य वर्ष के दौरान अर्जित वसूली का 3 प्रतिशत कार्यवाही ख़र्च कोषालय में जमा करने का प्रमाण-पत्र;
- आलोच्य वर्ष के दौरान ज़िले में कार्यरत कलेक्टर व अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के नाम व उनके कार्यकाल अवधि में अर्जित वसूली की जानकारी

3. ब्रिस्क योजना के प्रारम्भ यथा वर्ष 1995-1996 से वर्ष 2007-2008 तक समस्त वर्षो का अंकेक्षण कराना। बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा;

कपया वांछित सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित समयावधि में भेजना सुनिश्चित करें।

(पल्लवी जैन गोविल)
अध्यक्ष, ब्रिस्क प्रबन्ध समिति
एवं संचालक, संस्थागत वित्त
मध्यप्रदेश

कमांक ब्रिस्क/2008-09/संविसं/758 **भोपाल दिनांक 13 अप्रैल 2009**

प्रतिलिपिः-

- संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया, आंचलिक कार्यालय, 9-अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
- राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त (वाणिज्यिक, निजी, क्षेत्रीय ग्रामीण) बैंक, मध्यप्रदेश की ओर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु पृष्ठांकित

अध्यक्ष, ब्रिस्क प्रबन्ध समिति
एवं संचालक, संस्थागत वित्त
मध्यप्रदेश